


फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
ममताकंवर पुत्री जीवनदान पत्नी प्रवीणदान देथा जाति चारण, निवासी गूंगा हाल निवासी सावन मगरा, बोरुंदा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर वगैरा (02)		जीवनदान पुत्र शंकरदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला वाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (88,40,188,91,207)

मुकदमा नम्बर 169/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2025	<p>प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 40, 188, 91, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
04.09.25	<p>वादी वकील द्वारा पत्रावली तारीख पेशी पर ली जाकर जिले किन्ने वार खारिज करने का आर्जन पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई।</p> <p>वादी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीनीकल को उक्त वादग्रह फायसी के इकलाग के संबंध में जानकारी नहीं होने से पुश्तनी एक रिस्का बाबत वाद पेश किया जाता है। चूंकि वर्तमान में जानकारी होने से उक्त वाद मेरेबल नहीं है तथा आपसे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आर्जन पत्र लीकर किता पाकर वाद व आवेफ्त जरिये किन्ने खारिज करने का निवेदन किया जाता।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

नाम
अहकाम
हुकम
में जारी

लिहाजा उम्त बाद से वादीनीका अधिस्त
बाप प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया
जाकर बाद इसी स्टेज पर जा रहे कि दो
खासिज किया जाता है।

पनावली जम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव